16193
21/10/26

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक संख्या– जी0 / यो0–31–66 / 2023 / ..... / जे0, पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– न्यायिक पदाधिकारी कॉलोनी, बेतिया जिला–पश्चिम चम्पारण में सी0 टाईप बिल्डिंग में नाला को ढ़कने हेतु स्लैब लगाने के कार्य के निमित्त रू0 1,79,200 / – एवं न्याय विहार न्यायिक कॉलोनी बेतिया में नाला को ढ़कने हेतु स्लैब लगाने के कार्य के निमित्त के कार्य के निमित्त रू0 2,02,500 / – अर्थात् कुल रू0 3,81,700 / – (तीन लाख इक्यासी हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

———

आदेशः→ **स्वीकृत।**

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से न्यायिक पदाधिकारी कॉलोनी, बेतिया जिला–पश्चिम चम्पारण में सी0 टाईप बिल्डिंग में नाला को ढ़कने हेतु स्लैब लगाने के कार्य के निमित्त रू0 1,79,200 / – एवं न्याय विहार न्यायिक कॉलोनी बेतिया में नाला को ढ़कने हेतु स्लैब लगाने के कार्य के निमित्त के कार्य के निमित्त रू0 2,02,500 / – अर्थात् कुल रू0 3,81,700 / – (तीन लाख इक्यासी हजार सात सौ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें **अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी** द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है ।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–01–सरकारी रिहायशी भवन–लघुशीर्ष–700–अन्य आवास–उपशीर्ष –0105–न्यायाधीशों के आवास (विधि विभाग) में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका **विपत्र कोड सं0–03–4216017000105** है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी **जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया** से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ0–10 / टि0, दिनांक–**29.09.2026**, सं0सं0– **जी0 / यो0–31–66 / 2023**)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ0–12 / टि0, दिनांक–**09.10.2026**,सं0सं0– **जी0 / यो0–31–66 / 2023**)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

कृ0पृ0उ0